प्राक्कथन

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र के अधीन आने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों जिसमे वाणिज्य कर विभाग, राज्य आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, मनोरंजन कर विभाग एवं भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग सम्मिलित हैं, के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को शामिल किया गया है। हालांकि, आर्थिक, जनरल एवं सोशल सर्विसेज सेक्टर से सम्बन्धित विभाग शामिल नहीं हैं और जनरल एवं सोशल सेक्टर के प्रतिवेदन तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर–सा0क्षे0उ0) के प्रतिवेदन में आच्छादित किये गये हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित दृष्टान्त वे हैं जो 2014–15 की अवधि के लिये किये गये नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रकाश में आये, परन्तु जिन्हें विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; 2014–15 के बाद की अवधि से सम्बन्धित दृष्टान्त भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप ही लेखापरीक्षा सम्पादित की गई है।